



(5)

माननीय राजस्व मण्डल, गवालियर १८०५०

त्रिग - ३७११ - PB/२१६ म.प्र. १६ निगरानी

१- श्यामलाल पिता मुरलीधर जी की

उम-२५ वर्ष, धूंगा-छेती

निवासी-ग्राम नगरी, तहसील-दलोदा

जिला- मंदसौर १८०५०

२- श्रीमती कमलाबाई पति मुरलीधर जी की

उम-४५ वर्ष लगभग, धूंगा-छेती

निवासी-ग्राम नगरी, तहसील-दलोदा

जिला- मंदसौर १८०५०

— प्रार्थीगण

विरुद्ध

लक्ष्मीबाई पति बहूलाल जी टेलर

आयु-४० वर्ष लगभग, धूंगा-कुछ नहीं

निवासी-ग्राम बरखेडी, तहसील-जापरा

जिला- रतलाम १८०५०

— विपक्षी

निगरानी प्रार्थनापत्र अंगत धारा-५० म.प्र.भू.रा.स.

विरुद्ध आदेश दिनांकित-४.४.१६ पारित हारा

न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील दलोदा जिला-

मंदसौर के प्र.फ्र. ४९-३/६/१५-१६ लक्ष्मीबाई विरुद्ध

श्यामलाल वगराह

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थनापत्र निम्नवत् प्रस्तुत है :-

- : प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

यह त्रिक, प्रकरण में विपक्षीया हारा ग्राम नगरी तहसील दलोदा स्थित कूटीष झीम नं.-११२३/११८/२ पर मृतक मुरलीधर पिता मूलचंद जी की दृ. के स्थान पर किंती वस्तीयत के आधार पर अपने नाम का नामांतरण कराने हेतु दिनांक २०.११.१५ को एक आवेदन-पत्र तहसील न्यायालय तहसील दलोदा में प्रस्तुत किया, इसी प्रकार मृतक मुरलीधर के वैध वारीस श्यामलाल पिता — जिसका नाम परीक्षण पार्थी छं-२ श्रीमती कमलाबाई ने भी मृतक के

२०१८/०९/०१

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R ३७११/PBR/१६

जिला - मंडी

(५७)

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
३१.०९.१९ <i>दिनांक</i>	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी <i>त.८०००३१८</i> के प्रकरण क्रमांक ५७/३०६/१८/१६ में पारित आदेश दिनांक ५.४.१६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु <i>कलेक्टर भ.३८५५</i> को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक १५.१०.१९ को <i>कलेक्टर भ.३८५५</i> के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><i>(महेश चन्द्र चाधरी)</i> सदस्य</p> <p><i>[Signature]</i></p>	